


चलो चलाएँ
शिक्षा गुणवता अभियान
और बढ़ाएँ
हम अपना रखनान



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-दुर्ग (छ.ग.)
प्रशिक्षण सेवा मंडिर, स्मृति नगर भवानी
जिला-दुर्ग

विद्यालय साम्यता प्रसाण-पत्र

दिनांक - ०१।०।२।२०२१ से ०५।०।२।२०२४



Principal
Maharishi Vidya Mandir
Smriti Nagar, Durg
16/9/2022

नं. ०७८८-२३२२३४५

10

फैक्स नं. 0788-2211242

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, तुर्ग (छ.ग.)
संक / १३५८ / मास्ता / २०-।

दूरं, रिनांक ०१।०२।२२

प्रबन्धक, महाराष्ट्र शिक्षा विभाग,

पथ: निःत्कृत और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिसिद्धि 2009 की धारा 18 के प्रयोगन के लिए, निःत्कृत और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विषय, 2009 के विषय 11 के उप-विषय (4) के अंतर्गत विद्यालय के लिए।

2

भारत/वहराया,
भारेके भावेदव पत्र की तारीख... के संलग्न में और इस संबंध में विद्यातपके साथ परमात्मवती ब्राह्मण/विद्याराज के उपरान्त में टोक्सि. लिङ्गा. गोडी. श्रीराम. शिव. दुर्गा... (विद्यातपके साथ पता सहित) को तारीख... ०५।१।१२।२०११... से... ०५।१।१२।२०१४... तक उन दोनों की अधिक विद्याराजस्थ... से... ०५।१।१२।२०१४... तक मासिक... एवं वार्षिक... के लिए अवधिमात्रा प्रदान करने की संस्थानवा देते हैं।

उपरोक्त स्वीकृत नियन्त्रिति भारतों के पश्च किसे जाने के अस्थायीर हैः-

- भायता की स्त्रीकृत विद्यालयीन नहीं है औ उसमें किसी भी रूप में कदा आठवीं के पश्चात् भायता / संबद्धन करने के लिए कोई बायता विविधत नहीं है।
 - विद्यालय, जि: शुल्क और अविवार्य बात जिया का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-एक) और जि: शुल्क और अविवार्य बात जिया का अधिकार नियम 2009 (परिशिष्ट-दो) के उपर्यांतों का पालन करो।
 - विद्यालय, काला एक में (या यायायिक नवीरी कक्षा में) उन कक्षाएं ये बच्चों की संख्या के 25/- प्रतिशत तक आप-पहोने के कामगारों और सहनी हस्ती बच्चों को प्रदेश बाजारों और उन्हें जि: शुल्क और अविवार्य प्रायोगिक विद्या उससे पूरा हो जाने के तक उत्तराधिकारण। परंतु यह और भी कि पूर्ण प्रायोगिक कक्षाओं के मामले में भी इन बालकों का अनुमतालाल किया जायेगा।
 - रिता 03 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालयों को अधिनियम की पारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृष्ठ बैंक बाता रखेगा।
 - सोसायटी / विद्यालय किसी विविधत शुल्क का संतुष्ट होना नहीं करेगा और किसी बज्जे पा उसके माता / पिता या संरक्षक को किसी उल्लंघन प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
 - विद्यालय, किसी बच्चे को विद्यालयीन आप का सबूत व वहोंसे के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की पारा 1 के उपर्यांतों का पालन करेगा। | विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करोगा:-
एक प्रवेश दिये गये विद्यालयी भी बच्चे को विद्यालय में सुनिश्चित कराया जायेगा।
जो विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करोगा:-
विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
किसी भी बच्चे को गार्डरिक रद्द या बायासिक उत्तराधिकार के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
प्रायोगिक विद्या पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्णी करने की प्रयोगशाला नहीं की जायेगी।
प्रायोगिक विद्या पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकारियन किया जाएगा। अनुसार एक प्रदान किया जायेगा।
अधिनियम के उपर्यांतों 'क' के अनुसार जि: जगत / विद्येष प्रायोगिकताएं वाले विद्यालयों में संचालन किया जायेगा।

४.	अध्यापकों की भर्ती प्रधिनियम की धारा 23(1) के अध्यापन पदों प्रधानकार्य समूह में पर्याप्त वर्ग और भी कि विद्यालय अध्यापक तिकड़े पास इस प्रधिनियम के बारें पर्याप्त वर्ग करते हैं।
५.	अध्यापक स्वयं सोंचे जीवन की अपार्थन क्रियाकलापों में सियोंनित नहीं करते हैं।
६.	अध्यापक स्वयं सोंचे जीवन की अपार्थन क्रियाकलापों का पालन करते हैं, और अधिकारी की भीतर ऐसी यशस्वी प्रयत्नों पर आपत्ति करते हैं।
७.	विद्यालय समूचित प्रधिकारी द्वारा अधिकारित पाठ्यचर्च के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करते हैं।
८.	विद्यालय समूचित प्रधिकारी की धारा 19 में यद्याविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संस्थाओं को बदायत करते हैं।
	विनीतिकाल के समय रिरेंट कोई नहीं प्रतुविधाएं नियमनुसार है:-
	०३.४५
	कुल निर्वित का बोकलत : २५६३.२.८ का.पा.पा.
	बोकल के बोदावन का बोकलत : २५८.८ X २३६.२ का.पा.पा.
	कलाओं की संख्या : ३५.ज्ञाने.८.८५५.८८
	प्राप्तानपाठक सह-कार्यालय सह-भाग्दार के तिएकड़ा : ०२. बृहस्पति
	वातानों और वातिकारों के तिए पृष्ठक जीवनालय : ०६.०६
	भेजन त सुधिधा : लोरिना ८ देह वाहर
	मध्याह्न भोजन पकड़े हेतु रसोई : —
	वाधारहित पढ़ूच : —
	अध्यापन पठन सामग्री/झीझालेकूल के उपस्कारों/पुस्तकालय की उपताव्याता :
९.	विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के बाहर सोई गैर मायता प्राप्त कराएं रही चाहाई वा
१०.	विद्यालय प्रबोरों पा यथ संतरवानों पा यथाँ को प्रोग्रेस केवल सिवा और कोसाव विकास के प्रयोगों पे किया जायेगा।
११.	विद्यालय की सोसायटी रेजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसा द्वारा पर्याप्त प्रतुविधिकी विधि के प्रधीन गठित किसी लोकवाद द्वारा चराया जा रहा है।
१२.	विद्यालय को किसी बैयक्तिक, बैयक्तिक समूह या संप्रयोग की किसी भ्रय व्यक्तियों के लाभ के लिये बहाँ चर रहा है।
१३.	विद्यालयों के तेजाओं की किसी चार्डें एकाउडेंट द्वारा सम्परीकरा की जाने चाहिये और उसके द्वारा प्र किया जाना चाहिए तथा उचित तेजा विवरा, विषयों के प्रमाण तैयार किया जाना चाहिए। इसे विवरण की एक प्रति प्रदेयक वर्द्धित विनाप्रधिकारों को भेजी जानी चाहिए।
१४.	आपके विद्यालय को आवंटित मायता कोई संजोंगत !०३.२०/।।..... है। कृपया इसे बोट व इस कार्यालय के साथ किसी भी प्रवाचारक के लिए इस संजोंगत का उत्तेज करें।
१५.	विद्यालय ऐसे रिपोर्ट भीर सूचना प्रत्युत करेगा जो विज्ञान विद्याका/विज्ञान विज्ञान की द्वारा सम्प्रयोगित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्दोषों का पालन करेगा जो मायता संबंधी भ्रवातान को सुनिश्चित करें पर विद्यालय के कार्यकारण की कमियों को दूर करें के लिये चाही।
१६.	सोसायटी के रेजिस्ट्रीकरण के वर्षीनीकरण परिक्षाएँ होते सुनिश्चित किया जाए।
१७.	संतरन परिशिष्ट तंत्र के प्रबन्धार प्रयोगों जारी।

~~My bday
16/9/2022~~